सॅख्या/ /XXIV–2/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग –3 देहरादून दिनॉक 16 मार्च,2004

विषयः बेसिक शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन–4/14303/कार्यालय भवन निर्माण/2004–05 दिनॉक 3–3– 2005 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्याः 145/माध्यमिक/2004 दिनॉक 28–3–2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागेश्वर के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 38.77 लाख के सापेक्ष पूर्व स्वीकृति धनराशि रू0 15.00 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष सम्पूर्ण धनराशि रू0 23.77 लाख (रूपये तेइस लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्याः 588/XXIV–2/2004 दिनॉक 27–8–2004 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 300.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

2– शासनादेश संख्याः 145/माध्यमिक/2004 दिनॉक 28–3–2004 के प्रस्तर–1 के बिन्दु संख्या–4 में बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर के कार्यालय का निर्माण हेतु आगणन की परीक्षाणोपरान्त अनुमोदित लागत रू0 38.77 लाख पढी जाय। इस सीमा तक उक्त शासनादेश को संशोधित समझा जाय।

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ

रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)– एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाल व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूल तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय –01– सामान्य शिक्षा–202– माध्यमिक शिक्षा–आयोजगत–91–जिला योजना–9104–जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण (जिला योजना)–24 वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 432/वित्त/2005 दिनॉक 12/3/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

सॅख्याः 443 (1)/ XXIV—2/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,उत्तरॉचल, देहरादून।
2— निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी।
3— निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4— मण्डलायुक्त ,कुमायूॅ मण्डल नैनीताल ।
5— संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूॅ मण्डल— नैनीताल।
6— कोषाधिकारी, बागेश्वर ।
7— जिला शिक्षा अधिकारी— बागेश्वर ।
8— वित्त विभाग /नियोजन प्रकोष्ठ।
9— संबंधित निर्माण एजेन्सी ।
10— कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
11— एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव